न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री अनिल कुमार (आर.ए.एस. यू.टी.)

प्रा.प. संख्या 94/2014

1. कमला पुत्री केशाराम धर्मपत्नी बहादुरसिंह जाति जाट निवासीनी घड़ेलनगर तन कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर हाल अबाद बिशनपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. भागोती पुत्री केशाराम धर्मपत्नी श्रीचन्द जाति जाट निवासीनी घड़ेलनगर तन कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर हाल अबाद रूलानिया की ढाणी तन बेरी तहसील व जिला सीकर

– प्रार्थीनीगण –

बनाम

1. श्योकोरी पत्नी केशाराम
2. सुल्तानसिंह पुत्र केशाराम
3. अजू पत्नी नत्थूसिंह

समस्त जाति जाट निवासीगण घड़ेलनगर तन कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर

4. उप पंजीयकर सीकर
5. तहसीलदार सीकर

–अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री सांवरमल

वकील अप्रार्थीगण – ———

निर्णय

दिनांक – 20/01/2020

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लागायत 6 के पूर्वज केशाराम की वादगस्त भूमियां ग्राम घड़ेलनगर तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमियां ख0 नं0 1794, 1795, 1798 व 1808 किता 4 कुल रकबा 4.55 है0 अवस्थित है । जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थीगण के पिता केशाराम पुत्र कुशलाराम के नाम से थी जो निर्वसियती फौत हुऐ थे। इस कारण उक्त भूमि में प्रत्येक वारिस का हक हिस्सा है जिसके अनुसार प्रार्थीनीगण का 2/8 हक हिस्सा है। तहसीलदार द्वारा नामा0संख्या 210 दिनांक

20/01/2020

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

27.5.1993 कतई गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया क्योंकि उसे प्रार्थीनीगण को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया है। जबकि वे मृतक केशाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान हैं। गलत खातेदारी का अनुचित लाभ उठाकर उपरोक्त भूमियों में से 1/4 हक हिस्से के बाबत एक सर्वशा अवैध शून्य व प्रभावहीन विक्रय पत्र अप्रार्थीया संख्या 3 के पूर्वज नथू सिंह ने अप्रार्थीया संख्या 3 के हक में एक विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया। जिसकी पालना में नामा0 संख्या 1865 दिनांक 5.5.10 को अप्रार्थीगया संख्या 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होकर चली आ रही है। जबकि नत्थूसिंह 1/8 हिस्से की भूमि का बेचान करने के लिये अधिकृत था। इस प्रकार उक्त बेचाननाम व नामानतरकरण प्रारम्भतः ही शून्य है। जिनसे प्रार्थीगण कतई प्रतिबंधित नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड की आड में प्रार्थीनीगण के 2/8 पैतृक हिस्से पर से बलात् बेदखल करने की कुचेष्टाओं में लगे हुऐ है। ऐसा करने में वे कामयाब हो गये तो उनके अधिकारों पर भारी आधात होगा जिसकी तलाफी भविष्य में किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल के उपस्थित नहीं आने के कारण इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण पक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन रही। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरएलडब्लू 2006(1) आरजे पेश 202 पहलवान सिंह बनाम माया बाई की नजीर पेश की। हमने बहस पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 ग्राम घड़ेलनगर तहसील सीकर के खसरा नम्बर 1794, 1795, 1798 व 1808 किता 4 कुल रकबा 4.55 है0 की खातेदारी मु. श्योकोरी बेवाह केशाराम, नत्थूसिंह, सुलतानसिंह, नरेन्द्रसिंह, पिता केशाराम हि.ब. जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है। जरिये नामा0 सं. 1865 दिनांक 5.5.2010 के द्वारा नत्थूसिंह का हिस्सा 1/4 अन्जूदेवी पत्नी नत्थू सिंह के नाम दर्ज हुआ है। जमाबंदी सम्वत 2047 से 2050 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी केशाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट सा. देह के नाम दर्ज है। नामा0 संख्या 790 दिनांक 27.5.1993 के द्वारा केशाराम के फौत होने पर खातेदारी मु. श्योकोरी बेवाह केशाराम, नथूसिंह, सुलतानसिंह, नरेन्द्रसिंह, पिता केशाराम हि.ब. जाति जाट के नाम से दर्ज हुई है। केशाराम को भूमियां किस आधार पर प्राप्त हुई इसका उल्लेख या दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि भूमि पैतृक भूमियां है। बिना पैतृक भूमि के दस्तावेज के भूमियों को केशाराम की

20/01/2020

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

5वीं/V.N.

स्वअर्जित भूमि ही माना जावेगा। केशाराम की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1993 में मु. श्योकोरी बेवाह केशाराम, नथूसिंह, सुलतानसिंह, नरेन्द्रसिंह, पिता केशाराम के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। इसी प्रकार दिनांक 5.5.2010 को अप्रार्थी संख्या 3 अजू के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थीनीगण ने 1993 में केशाराम की मृत्यु पर भरे गये विरासत के नामा0 को चुनौती देने का कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है ना ही इस बाबत कोई कारण अंकित किया गया है जबकि प्रार्थीनीगण अपने आपको विवादित भूमियों में काबिज खातेदार काश्तकार बता कर आ रही हैं। प्रार्थीनीगण द्वारा अजू की खातेदारी को भी चुनौती नहीं दी गई है। प्रार्थीनीगण के एक मात्र कथन के आधार पर प्रार्थीनीगण के कथन प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं। प्रार्थीनीगण ने वारिसनामा भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

2. **सुविधा का संतुलन** – अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीनीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमि के पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

3. **अपूरणिय क्षति** – प्रार्थीर्नीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है जिससे यह माना जावे कि इस वजह से उन्हे अपूरणिय क्षति हो सकती है।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थीनीगण प्रमाणित नहीं कर पाने के कारण उनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का बाबत वादगस्त भूमियां ग्राम घड़ेलनगर तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमियां ख0 नं0 1794, 1795, 1798 व 1808 किता 4 कुल रकबा 4.55 है0 अस्वीकार किया जाता है।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर, द्वितीय, सीकर

निर्णय आज दिनांक 20/01/2020 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर, द्वितीय, सीकर